

राजपत्रित/गैर-राजपत्रित स्टाफ द्वारा समयोपरि भत्ते के दावे का संशोधित प्रपत्र
REVISED FORM FOR CLAIM OF OVERTIME ALLOWANCE BY GAZETTED/NON-GAZETTED STAFF

दावेदार का नाम एवं पदनाम / Name and Designation of the Claimant	:	
कार्मिक का दर्जा अर्थात् राजपत्रित/गैर-राजपत्रित / Status of Official i.e. Gazetted/Non-Gazetted		
दावेदार (एफआर-9 में परिभाषित) का वेतन (मूल+विशेष+वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है) / Pay (Basic+Special+Personal Pay, if any) of the claimant (as defined inFR-9)	:	
दावेदार को प्राप्त परिलब्धियां (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता+नगर प्रतिपूर्ति भत्ता) / Emoluments (Pay+DA+CCA) of the claimant		
माह के दौरान स्वीकार्य अधिकतम समयोपरि भत्ता (विशिष्ट अथवा सामान्य आदेशानुसार, जैसा मामला हो) / Maximum OTA hours admissible (as per Specific or General Orders, as the case may be) during the month	:	
माह के दौरान स्वीकार्य समयोपरि भत्ते की अधिकतम राशि / Maximum amount of OTA admissible during the month		

दिनांक / Date	कार्यालय आने का समय / Time of Arrival AM	कार्यालय छोड़ने का समय / Time of Departure	इयूटी के कुल घंटे / Total Duty hours	समयोपरि इयूटी के कुल घंटे / Total Overtime duty hours	कुल समयोपरि इयूटी से घटाए गए घंटों की संख्या / No. of hours deducted from total overtime duty hrs.	एक घंटा मुफ्त कार्य को घटाने के बाद समयोपरि कार्य के घंटे और वह समय जिस दौरान कार्मिक ने कार्यालय में देर तक या लंच के दौरान काम किया, जैसा भी मामला हो / Overtime duty hrs. charged after deducting one hr of free work and the time by which the official attended office late or lunch, as the case may be	प्रति घंटे समयोपरि भत्ते की दर / Rate of OTA per hour (Rs.)	दावा किए गए समयोपरि भत्ते की राशि (रु०) / Amount of OTA claimed (Rs.)

प्रमाणित किया जाता है, कि मैं, उपरोक्त वर्णित प्रत्येक तिथि की अवधि के दौरान कार्यालयी घंटों के बाद इयूटी पर था। उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार किए गए समयोपरि कार्य के संबंध में समयोपरि भत्ता रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं। / Certified that I, was on duty for the period mentioned against each date above beyond office hours for official work. Necessary entries with regard to overtime duty performed as mentioned above have been made in the OTA register.

दावा किए गए समयोपरि भत्ते की राशि (रूपए मात्र) | / Amount of OTA claimed Rs. (Rupees only).

दावेदार के हस्ताक्षर / Signature of Claimant

प्रमाण-पत्र / CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी, जिसके नाम पर इस बिल में समयोपरि भत्ते का दावा किया गया है, को विशिष्ट आदेशों के तहत कार्यालय में देर तक कार्य करने, जो किसी भी प्रकार से अगले कार्य दिवस पर टाला नहीं जा सकता था, का आदेश दिया गया है, ने विनिर्दिष्ट घंटों के दौरान अति-तत्काल कार्य किया है/या उसने पूर्व पृष्ठ पर दिए गए विवरण के अनुसार अति-तत्काल स्वरूप कार्य को सार्वजनिक हित में समयबद्ध तरीके से निपटाया है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में दावा की गई राशि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 15011/2/ई०।।(बी)/77 दिनांक 11 अगस्त, 1977 के पैरा सं० 7 और उसमें दिए गए सिद्धांतों के तहत निर्धारित दर के अनुसार है तथा उन आदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट समयोपरि भत्ते की सीमा को पार नहीं करती। "व्यक्तिगत स्टाफ" द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक काम करने के लिए समयोपरि भत्ते के भुगतान करने हेतु संबद्ध अधिकारी से आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संबद्ध सरकारी कर्मचारी(रियों) ने दावा किए गए समयोपरि कार्य के निष्पादन के लिए किसी भी प्रकार का अन्य कोई पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता या प्रतिपूरक अवकाश नहीं लिया है। कार्यालय आने का और छोड़ने का सत्यापन संबद्ध रिकार्ड से किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी प्रविष्टियां की जांच कर ली गई हैं और वे ठीक हैं।

Certified that the Government servant, in whose case the overtime allowance has been claimed in this bill was required under specific orders to sit late in office after having put in work during prescribed hours/ attended office as per details on pre-page for disposal of urgent work which, in public interest, could not be postponed till the next working day.

Certified that the amount claimed in this bill is in accordance with the rate specified in paragraph 7 of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure)'s Office Memorandum No. 15011/2/E.II(B)/77 dated the 11th August, 1977 and is according to principles laid down therein and does not exceed the ceiling of over time earnings prescribed in those orders, necessary certificates having been obtained from the officers concerned for payment of overtime allowance to the 'Personal Staff' in excess of the prescribed ceiling.

Also certified that the Government Servant(s) concerned did not receive any other remuneration/conveyance charge or compensatory leave for the performance of that over-time work. Time of arrival and departure has been verified from the relevant records. All the entries have been checked and found correct by the undersigned.

दावेदार के हस्ताक्षर

Signature of Claimant

ब्रांच अधिकारी / प्रभागाध्यक्ष

Branch Officer/Division Head